

कर्मचारी मण्डल नैनीताल

मण्डलीय अपर निर्देशक (सांख्यिक शिक्षा)  
(श्रीमती सुषमा सिंह)

क्रमांक: पृष्ठ 2

क्र०	शिक्षक/शिक्षिका का नाम पदनाम	कार्यरत विद्यालय का नाम	जनपद	जन्म तिथि	पदस्थानिपत विद्यालय का नाम	अन्य विवरण
01	02	03	04	05	06	07
01	परवीन बख्श	बीआर04सी0 गाडीखेत	अल्मोड़ा	16/11/1972	श्रीमती सुषमा सिंह	श्रीमती सुषमा सिंह
02	श्रीमती वन्दना जाधवी	श्रीमती वन्दना जाधवी	श्रीमती वन्दना जाधवी	06/06/1973	श्रीमती वन्दना जाधवी	श्रीमती वन्दना जाधवी
03	श्रीमती हेमलता जाधवी	श्रीमती हेमलता जाधवी	श्रीमती हेमलता जाधवी	19/06/1976	श्रीमती हेमलता जाधवी	श्रीमती हेमलता जाधवी
04	श्रीमती कमला शर्मा	श्रीमती कमला शर्मा	श्रीमती कमला शर्मा	12/06/1975	श्रीमती कमला शर्मा	श्रीमती कमला शर्मा
05	विद्यालया आया	श्रीमती विद्यालया आया	श्रीमती विद्यालया आया	15/03/1977	श्रीमती विद्यालया आया	श्रीमती विद्यालया आया
06	रत्ना पन्ना	श्रीमती रत्ना पन्ना	श्रीमती रत्ना पन्ना	20/01/1975	श्रीमती रत्ना पन्ना	श्रीमती रत्ना पन्ना
07	श्रीमती कचन जाधवी	श्रीमती कचन जाधवी	श्रीमती कचन जाधवी	17/11/1978	श्रीमती कचन जाधवी	श्रीमती कचन जाधवी
08	हेमा महर	श्रीमती हेमा महर	श्रीमती हेमा महर	15/06/1974	श्रीमती हेमा महर	श्रीमती हेमा महर
09	श्रीमती शीमा आया	श्रीमती शीमा आया	श्रीमती शीमा आया	19/03/1975	श्रीमती शीमा आया	श्रीमती शीमा आया
10	श्रीमती शीमा टन्डा	श्रीमती शीमा टन्डा	श्रीमती शीमा टन्डा	10/11/1977	श्रीमती शीमा टन्डा	श्रीमती शीमा टन्डा
11	श्रीमती सुनीता कञ्जाल	श्रीमती सुनीता कञ्जाल	श्रीमती सुनीता कञ्जाल	01/07/1980	श्रीमती सुनीता कञ्जाल	श्रीमती सुनीता कञ्जाल
12	श्रीमती विनीता कोहली	श्रीमती विनीता कोहली	श्रीमती विनीता कोहली	30/04/1975	श्रीमती विनीता कोहली	श्रीमती विनीता कोहली
13	श्रीमती ममता रानी	श्रीमती ममता रानी	श्रीमती ममता रानी	12/03/1979	श्रीमती ममता रानी	श्रीमती ममता रानी
14	श्रीमती आशा देवी	श्रीमती आशा देवी	श्रीमती आशा देवी	25/05/1976	श्रीमती आशा देवी	श्रीमती आशा देवी
15	श्रीमती भावना शर्मा	श्रीमती भावना शर्मा	श्रीमती भावना शर्मा	05/05/1977	श्रीमती भावना शर्मा	श्रीमती भावना शर्मा
16	व्यक्ति आया	श्रीमती व्यक्ति आया	श्रीमती व्यक्ति आया	24/11/1977	श्रीमती व्यक्ति आया	श्रीमती व्यक्ति आया

**विषय-विज्ञान (महिला शाखा)**

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 के भाग-5 मधील प्रक्रिया के प्रस्तर-16(1) में निहित प्राविधानों तहत राजकीय प्राथमिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय, सहायक अध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं सहायक अध्यापक राजकीय आदर्श विद्यालयों में समान वेतनक्रम में कार्यरत निम्नलिखित सहायक अध्यापक/अध्यापिकाओं को प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी वेतनक्रम-9300-34800 ग्रंथ वेतन-4600 में उनके विकल्प के आधार पर सहायक अध्यापक स्नातक वेतनक्रम में उनके नाम के समुच्चय क्रम-06 में आंकित विद्यालय में पदोन्नति द्वारा मर्जी अनुरोधकर्ता को अस्वीकार करते हुए उचितता के आधार पर प्रदान की जाती है। उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिकाओं को आदेशानुसार की तिथि से 15 दिन के भीतर अपने पदोन्नत विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा। पदोन्नति के फलस्वरूप सेनाती के विद्यालय में कार्यभार ग्रहण न करने वाले शिक्षक/शिक्षिकाओं को आगामी तीन वर्ष तक पदोन्नति नहीं की जायेगी। पदोन्नति प्राप्त शिक्षकों की उचितता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

**विज्ञापित/पदोन्नति**

22 फरवरी, 2015 / 2014-15 दिनांक

469

आदेश संख्या-सेवाए-3क(2)/अजा/पदो /

कार्यालय : मण्डलीय अपर निर्देशक (सांख्यिक शिक्षा) कर्मचारी मण्डल नैनीताल

प्रतिनिधित्व विनाशिकल को संपन्नार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

01- साक्षि विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, शासन, देहरादून।

02- महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।

03- निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।

04- सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।

05- सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा)।

06- गरीब कोषाधिकारी सम्बन्धित जनपद।

07- जिल एवं तालुकाधिकारी कार्यालय सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।

08- सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी।

09- सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य को इस आशय के साथ कि पदोन्नत शिक्षक को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व उनके सेवा सम्बन्धी अभिलेखों का निम्नानुसार भली-भाँति परीक्षण/सत्यापन कर लें, तभी सम्बन्धित को कार्यभार सौंप/ग्रहण कराना सुनिश्चित करें।

(क)- अध्यापक स्नातक उपाधि प्राप्त हो।

(ख)- प्रथम नियुक्ति (प्रशिक्षित बतनमान) के उपरान्त 31 जून, 2014 को त्रिभुज तक कुमाऊँ मण्डलान्तर्गत न्यूनतम 08 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा वर्तमान में बतनमान-9300-34800 (ग्रेड बतन-4600) में कार्यरत हो।

(ग)- शासनादेश/नियमावली के अनुसार निर्धारित विषय संयोजन सम्बन्धी उपबन्ध पूर्ण करता हो।

(घ)- पदोन्नत अध्यापक को प्रशिक्षित स्नातक न होने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा गठित संस्था के माध्यम से निर्धारित प्रमाण पत्र अथवा एन0सी0टी0ई0 से मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से शिक्षाशास्त्र में उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त करना होगा। यदि उक्त प्रमाण पत्र, उपाधि या डिप्लोमा नियुक्ति वर्ष के पश्चात के तीन वर्षों में प्राप्त नहीं किया जाता है तो अगली बतनवृद्धि तभी देय होगी जब कि ऐसा प्रमाण पत्र, उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त कर लेगा। परन्तु यह कि पदोन्नति की तिथि को 55 वर्ष अथवा अधिक आयु के अध्यर्थी के लिए ऐसा प्रमाण पत्र, उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा।

सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका को इस निर्देश के साथ कि वे आदेश निर्गत होने की तिथि के 15 दिन भीतर अपने तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो उनकी पदोन्नति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य के सम्मुख अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न सम्पन्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (वे प्रमाणित छायाप्रति सहित) प्रस्तुत करेंगे।

11- कार्यालय आदेश पत्रिका।

मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)  
कुमाऊँ मण्डल विभागालय  
N